



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-12032026-270886
CG-DL-E-12032026-270886

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1238]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, मार्च 12, 2026/फाल्गुन 21, 1947

No. 1238]

NEW DELHI, THURSDAY, MARCH 12, 2026/PHALGUNA 21, 1947

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 12 मार्च, 2026

का.आ. 1295(अ).— केंद्रीय सरकार, राष्ट्रीय वन्य जीव बोर्ड नियम, २००३ के नियम 3 के उप-नियम (4) के साथ पठित वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 (1972 का 53) की धारा 5क की उपधारा (1) द्वारा केंद्रीय सरकार प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निम्नलिखित सदस्यों को राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड के सदस्य के रूप में नामनिर्दिष्ट करती है और भारत सरकार के पर्यावरण एवं वन मंत्रालय की अधिसूचना सं. का. आ. 1093(अ), तारीख 22 सितंबर, 2003, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (ii) में प्रकाशित हुई थी, में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात्—
उक्त अधिसूचना में,—

(i) खंड (ड) में, गैर-सरकारी संगठनों से संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियां रखी जाएगी, अर्थात्—

“(i) गोवा बर्ड कंजरवेशन नेटवर्क, गोवा

(ii) आरण्यक, गुवाहाटी, असम

(iii) विश्व वन्यजीव निधि (डब्ल्यूडब्ल्यूएफ) भारत

(iv) गुजरात इकोलॉजिकल एजुकेशन एंड रिसर्च फाउंडेशन, गांधीनगर, गुजरात

(v) नेचर कंजरवेशन फाउंडेशन, बेंगलुरु, कर्नाटक”

(ii) खंड (च) में, प्रख्यात संरक्षणविदों, पारिस्थितिकीविदों एवं पर्यावरणविदों से संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियां रखी जाएगी, अर्थात्—

- “(i) डॉ. सत्य प्रकाश यादव
- (ii) डॉ. मेवा सिंह
- (iii) पद्मश्री पोपटराव पवार
- (iv) डॉ. छवि नाथ पांडेय
- (v) डॉ. प्रिया डेविडर
- (vi) प्रो. मुकेश शर्मा
- (vii) श्री सिद्धांत दास
- (viii) श्री जिग्मेट टकपा
- (ix) श्री सौमित्र दासगुप्ता
- (x) श्री अजय कुमार नाइक ”

(iii) खंड (v) में, राज्यों के प्रतिनिधियों से संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियां रखी जाएगी, अर्थात्—

- “(i) बिहार
- (ii) छत्तीसगढ़
- (iii) गुजरात
- (iv) हिमाचल प्रदेश
- (v) हरियाणा
- (vi) लक्षद्वीप
- (vii) मेघालय
- (viii) ओडिशा
- (ix) तेलंगाना
- (x) तमिलनाडु ”

[फा. सं. 6-20/2017-डब्लू एल(pt4)]

रमेश कुमार पांडेय, अपर महानिदेशक (वन्यजीव) तथा
निदेशक, वन्यजीव संरक्षण

टिप्पण : मूल अधिसूचना भारत के राजपत्र असाधारण में संख्या का. आ. 1093 (भ), तारीख 22 सितंबर, 2003 के द्वारा से प्रकाशित की गई थी।

तत्पश्चात अधिसूचना संख्या का. आ. 1249 (भ), तारीख 8 नवंबर, 2004; का. आ. 1324 (भ), तारीख 1 दिसंबर, 2004; का. आ. 802 (भ), तारीख 16 मई, 2007; का. आ. 483 (भ), तारीख 25 फरवरी, 2010; का. आ. 1886 (भ), तारीख 22 जुलाई, 2014; का. आ. 94 (भ), तारीख 28 दिसंबर, 2016; तथा का. आ. 4848 (भ), तारीख 08 नवंबर, 2024 द्वारा संशोधन की गई।

MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE

NOTIFICATION

New Delhi, the 12th March, 2026

S.O. 1295(E).— In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 5A of the Wild Life (Protection) Act, 1972 (53 of 1972) read with sub-rule (4) of rule 3 of the National Board for Wild Life Rules, 2003, the Central Government hereby nominates the following as members to the National Board for Wild Life and makes the following further amendments in the notification of the Government of India in the Ministry of Environment and Forests number S.O. 1093(E), dated the 22nd September, 2003, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), namely:—

In the said notification,—

(i) In clause (e), for the entries relating to non-governmental organizations, the following entries shall be substituted, namely:—

“(i) Goa Bird Conservation Network, Goa

(ii) Aaranyak, Guwahati, Assam

(iii) World Wildlife Fund (WWF) India

(iv) Gujarat Ecological Education and Research Foundation, Gandhinagar, Gujarat

(v) Nature Conservation Foundation, Bengaluru, Karnataka”

(ii) In clause (f), for the entries relating to eminent conservationists, ecologists and environmentalists, the following shall be substituted, namely:—

“(i) Dr. Satya Prakash Yadav

(ii) Dr. Mewa Singh

(iii) Padma Shri Popatrao Pawar

(iv) Dr. Chhavi Nath Pandey

(v) Dr. Priya Davidar

(vi) Prof. Mukesh Sharma

(vii) Shri Siddhanta Das

(viii) Shri Jigmet Takpa

(ix) Shri Soumitra Dasgupta

(x) Shri Ajaya Kumar Naik”

(iii) In clause (v), for the entries relating to representatives of States, the following shall be substituted, namely:—

“(i) Bihar

(ii) Chhattisgarh

(iii) Gujarat

(iv) Himachal Pradesh

(v) Haryana

(vi) Lakshadweep

(vii) Meghalaya

(viii) Odisha

(ix) Telangana

(x) Tamil Nadu”

[F. No. 6-20/2017-WL(pt4)]

RAMESH KUMAR PANDEY, Addl. Director General of Forests (Wildlife)
and Director, Wildlife Preservation

Note: The principal notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, *vide* number S.O. 1093 (E), dated the 22nd September, 2003.

Subsequently amended *vide* S.O. 1249 (E), dated the 8th November, 2004; S.O. 1324 (E), dated the 1st December, 2004; S.O. 802 (E), dated the 16th May, 2007; S.O. 483 (E), dated 25th February, 2010; S.O.1886(E), dated 22nd July 2014; S.O. 94(E), dated 28th December 2016 and S.O.4848(E), dated 08th November 2024.